



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्
**शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान (आर्ड०आरडी०टी०), अपर आमवाला देहरादून
 संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेक्निक्स (जीप)-२०२३ कार्डसिलिंग सूचना**
कार्डसिलिंग वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in>



**शैक्षिक सत्र 2023–24 में निःशुल्क ऑनलाइन कार्डसिलिंग के माध्यम से पॉलीटेक्निकों में
 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कार्डसिलिंग सूचना**

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूढ़ी के सम्बद्ध उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन कार्डसिलिंग का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेक्निक- 2023 (जीप- 2023) में इैक प्राप्त सभी अध्यर्थी ऑनलाइन कार्डसिलिंग में निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार सम्मिलित हो सकते हैं।

क्र० सं०	कार्डसिलिंग के चरण	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प भरने की तिथि	संस्थान/ब्रांच आवंटन की तिथि	आवंटित संस्थान में रिपोर्ट, अमिलर्खी की जांच एवं प्रवेश की तिथि
1	प्रथम	दिनांक 11 जुलाई, 2023 से दिनांक 14 जुलाई, 2023	17 जुलाई, 2023	दिनांक 18 जुलाई, 2023 से दिनांक 21 जुलाई, 2023 तक।
2	द्वितीय	दिनांक 25 जुलाई, 2023 से दिनांक 27 जुलाई, 2023	31 जुलाई, 2023	दिनांक 01 अगस्त, 2023 से दिनांक 04 अगस्त, 2023 तक।

आवश्यक निर्देश:-

- ऑन लाइन कार्डसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्ण अध्यर्थी सर्वप्रथम www.ubter.in पर विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन कर लें, तत्पश्चात् अध्यर्थी कार्डसिलिंग की वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in> में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण करें।
- कार्डसिलिंग से एवं प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए परिषद् के काल सेन्टर नं० 7456962568 एवं 7579090518 पर कार्डसिलिंग/प्रवेश तिथियों में प्राप्त 10 बजे से 05 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं अथवा कार्डसिलिंग सम्बन्धी ईमेल jeep.ubte@gmail.com पर किसी भी समय सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं।

विज्ञापन सं० 344 /उप्राशिप/जीप- 2023/कार्डस०/2023–24 दिनांक 30/06/2023

सचिव



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान (आई0आर0डी0टी0), अपर आमवाला देहरादून
संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेक्निक्स (जीप)–2023 काउंसिलिंग सूचना
काउंसिलिंग वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in>



शैक्षिक सत्र 2023–24 में निःशुल्क ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से पालीटेक्निकों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग सूचना

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की से सम्बद्ध उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसिलिंग का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक– 2023 (जीप– 2023) में रैंक प्राप्त सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसिलिंग में निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार सम्मिलित हो सकते हैं।

निःशुल्क काउंसिलिंग कार्यक्रम

क्रं सं०	काउंसिलिंग के चरण	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प भरने की तिथि	संस्थान/ब्रांच आवंटन की तिथि	आवंटित संस्थान में रिपोर्ट, अभिलेखों की जाँच एवं प्रवेश की तिथि	अन्युक्ति
1	प्रथम	दिनांक 11 जुलाई, 2023 से दिनांक 14 जुलाई, 2023	17 जुलाई, 2023	दिनांक 18 जुलाई, 2023 से दिनांक 21 जुलाई, 2023 तक।	जीप– 2023 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु पात्र हैं।
2	द्वितीय	दिनांक 25 जुलाई, 2023 से दिनांक 27 जुलाई, 2023	31 जुलाई, 2023	दिनांक 01 अगस्त, 2023 से दिनांक 04 अगस्त, 2023 तक।	प्रथम चरण में प्रतिभाग न कर सके अभ्यर्थी एवं प्रथम चरण में आवंटित सीट को बदलने (upgradation) वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।

आवश्यक निर्देशः—

- ऑनलाइन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समस्त जानकारी काउंसिलिंग की वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in> पर उपलब्ध रहेगी। अतः अभ्यर्थी काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर लें।
- जीप– 2023 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी ऑन लाइन काउंसिलिंग हेतु पात्र हैं किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नहीं हैं एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अहता परीक्षा उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण नहीं हैं, काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
- ऑन लाइन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी का अनुक्रमांक, आवंटन पत्र संख्या एवं जन्मतिथि की जानकारी होनी अनिवार्य होगी।
- अभ्यर्थी वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना सम्पूर्ण विवरण (आक्षण श्रेणी, उप श्रेणी, लिंग, उत्तराखण्ड डोमेस्टिक इत्यादि) ध्यानपूर्वक चेक कर लें एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर लें। रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी जो सूचना भरेगा, अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र होने अनिवार्य होंगे अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थान में कोई पाठ्यक्रम आवंटित हो, तो वे अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में आवंटित राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में आवश्यक अभिलेख (Allotment Letter के अनुसार) एवं शिक्षण शुल्क ₹ 8000/- के साथ उपरिक्त होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं।
- जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर लेते हैं एवं द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित होकर सीट अपग्रेड करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः अभिलेख संस्थान/प्रवेश की कार्यवाही हेतु उपरिक्त होने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों की सीट स्थः ही नये संस्थान में अपग्रेड हो जायेगी। अतः प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी उसी दशा में द्वितीय काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करें यदि उन्हें सीट अपग्रेड करनी हो। सीट अपग्रेड होने की स्थिति में पुरानी सीट से उसका प्रवेश रद्द हो जायेगा और अभ्यर्थी का पुरानी सीट पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- संस्थान, ब्रांच आवंटन की जानकारी के लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के दौरान वेबसाईट पर अपना Allotment Letter प्रिंट कर सकता है। इसकी जानकारी अभ्यर्थी को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल नं० पर SMS के माध्यम से भी दी जायेगी।
- अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में निर्धारित अंतिम तिथि तक समस्त आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र (जीप– 2023 की विवरण पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार) समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति एवं 02 पासपोर्ट सार्झाइज फोटो के साथ उपरिक्त होंगे।
- किसी भी आक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा। जिसे प्रवेश के समय आवंटित संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखण्ड स्थाई निवास का प्रमाण पत्र न हो एवं वे पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अहता उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण हों, ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के समय विशेष ध्यान रखें एवं सही जानकारी उपलब्ध करायें।
- अभ्यर्थियों द्वारा आक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने होंगे।
- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो अभ्यर्थी का आवंटन स्थः ही निरस्त कर दिया जायेगा और अगले चरण की काउंसिलिंग में उक्त सीट को रिविट के रूप में प्रदर्शित कर दिया जायेगा।
- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी ऑन लाइन काउंसिलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गाँव में कहीं से भी काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं।
- शासनादेश संख्या 348/XLIV(8)/10-26-10 दिनांक 19/01/2011 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं० 647/XLI-1/12-26/10 दिनांक 20 जून, 2012 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में Tuition Fee Waiver Scheme अनिवार्य रूप से लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान के प्रयोक्त विविध पाठ्यक्रम की स्थीकृत प्रवेश क्षमता के ५ प्रतिशत अतिरिक्त सीटें उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी के लिये आवश्यकता की गयी है, जिनके अभिभावकों की किसी भी स्त्रोत से वार्षिक आय ₹ 4,500 लाख से कम हो। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों से सम्पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश एवं उक्त शासनादेश वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in> से डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी TFW उपलब्धी में रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें विकल्प भरते समय पाठ्यक्रम हेतु Normal एवं TFW दोनों प्रकार के विकल्पों को वरीयताक्रम में भरना अनिवार्य होगा।
- छात्र ऑन लाइन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समय–समय पर जारी आवश्यक सूचनाओं एवं निर्देशों के लिए निरन्तर वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in> पर सम्पर्क करते रहें तथा काउंसिलिंग से एवं प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए परिषद् के काल सेंटर नं० 7456962568 एवं 7579090518 पर एक्सी भी समस्य सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाईट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर प्रवेश हेतु इच्छुक संस्थान/ब्रांच के विकल्प (Choice) भर सकते हैं एवं भरे गये विकल्पों का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प भरते समय अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि विकल्पों का चयन करते समय जानकारी प्राप्त होने पर ही विकल्प भरें। साथ ही Login-ID/Password को किसी के साथ साझा (Share) न करें। यदि आपके द्वारा Login-ID/Password को किसी के साथ साझा करने पर अभ्यर्थी के विकल्पों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। उपलब्ध विकल्पों की विस्तृत जानकारी वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in> पर ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन से पूर्व उपलब्ध होगी।
- युप-А (Lateral Entry) के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व युप-А की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त आई0टी0आई0 उत्तीर्ण रॅक्थार्डी यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी जिस ब्रांच में प्रवेश के इच्छुक हैं वे उससे सम्बन्धित आई0टी0आई0 ट्रूड में उत्तीर्ण है अथवा नहीं। इस सन्दर्भ में अभ्यर्थी काउंसिलिंग में विकल्प भरने से पूर्व जीप– 2023 विवरण पुस्तिका का अवलोकन अवश्य कर लें कि विषय में योग्य विकल्पों की स्वयं की ही होगी।
- शासनादेश सं० 1003/XLI-1/19-42/19 दिनांक 12 जुलाई, 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में सत्र 2019–20 से 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन काउंसिलिंग के समय EWS (Economic Weaker Section) श्रेणी का चयन करना होगा एवं प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- शासनादेश सं० 630/XLI-A/23-49/18-E-35396 दिनांक 24 मई, 2023 के अनुपालन में राजकीय पॉलीटेक्निक विकासनगर, देहरादून में फार्मसी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 01 सीट लदाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित किया गया है।

संयुक्त सचिव